श्री सरोज यादव, माननीय स०वि०स० द्वारा पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न निगरानी–03 का उत्तर।

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिला अन्तर्गत बड़हरा विधान सभा क्षेत्र में हुई इंदिरा आवास, शौचालय निर्माण योजना सहित अन्य विकास योजनाओं की लूट एवं गबन की जाँच निगरानी विभाग को 27 मई, 2017 को दी गयी थी, किन्तु उक्त योजनाओं का अभी तक जाँच पूरी नहीं की गई है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त योजनाओं की जाँच कबतक पूरा करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?	**स्वीकारात्मक।** 1. श्री सरोज यादव, माननीय स०वि०स० का दिनांक 24.05.2017 का परिवाद जो भोजपुर जिला में व्याप्त भ्रष्टाचार की जाँच से संबंधित था, दिनांक 25.05.2017 को निगरानी विभाग में प्राप्त हुआ था। इसे विभागीय पत्रांक 2185 दिनांक 29.05.2017 द्वारा निगरानी अन्वेषण ब्यूरो को प्राथमिकता के आधार पर जाँच कर, यथाशीघ्र जाँच प्रतिवेदन भेजने का अनुरोध किया गया। 2. माननीय स०वि०स० द्वारा इसके पश्चात् भी अन्य अनेकों परिवाद दिए गये, जो भोजपुर जिला के बड़हरा प्रखंड में विभिन्न योजनाओं में अनियमितता एवं भ्रष्टाचार से संबंधित थे एवं विभाग के स्तर से विभिन्न पत्रों द्वारा निगरानी अन्वेषण ब्यूरो को जाँच में शामिल करने हेतु भेजा गया। 3. निगरानी अन्वेषण ब्यूरो द्वारा मामले की जाँच प्रारंभ कर दी गयी है एवं मामला सम्प्रति जाँचाधीन है। सांसद निधि से सड़क एवं पुलिया निर्माण में अनियमितता की जाँच एवं अन्य बिन्दुओं पर तकनीकी सहयोग हेतु ब्यूरो द्वारा तकनीकी परीक्षक कोषांग से अनुरोध किए जाने पर तकनीकी परीक्षक कोषांग के स्तर से भी जाँच की जा रही है, जो सम्प्रति जाँचाधीन है। संबंधित जाँच प्रतिवेदन यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का अनुरोध निगरानी अन्वेषण ब्यूरो से किया गया है।

श्री समीर कुमार महासेठ, स0वि0स0 द्वारा पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या–जन–03 का उत्तर

क्रमांक	तारांकित प्रश्न	उत्तर
1	क्या मंत्री, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि – क्या यह बात सही है कि पत्रकार पेंशन योजना की शुरूआत 15.08.2015 से करने की सरकारी घोषणा और इसके लिये नियमावली बन गयी परन्तु अभी तक किसी भी पत्रकारों को पेंशन की सुविधा प्रदान नहीं की गयी है, यदि हाँ, तो क्या सरकार सभी मान्यता प्राप्त पत्रकारों को पेंशन की सुविधा प्रदान करने का विचार रखती है, हां तो कबतक, नही तो क्यों?	उत्तर स्वीकारात्मक है। पूर्व में "बिहार पत्रकार पेंशन योजना नियमावली–2015" लागू थी परन्तु उससे लाभ हेतु इच्छुक कई पत्रकार आच्छादित नहीं हो पा रहे थे। अतः पत्रकार–प्रतिनिधियों के सुझाव एवं परामर्श पर बिहार के अधिकाधिक सुयोग्य पत्रकारों को आच्छादित करने के उद्देश्य से "बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना नियमावली, 2017" बनाई गई जो स्वीकृति की प्रक्रिया में है। स्वीकृति प्राप्त होने पर योजना का क्रियान्वयन कराया जा सकेगा।

उप सचिव
सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग
बिहार, पटना।

संचिका संख्या– 01/स्था0 (मु0)11–09/2018

बिहार सरकार
सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग

ज्ञापांक–..... सू0 ज0 स0 वि0, पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना को उनके ज्ञापांक–1447–1448, वि0स0, दिनांक 19–3–18 के आलोक में 550 चक्रलिखित प्रतियाँ सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उप सचिव